संख्या-19/2015/411/35-3-2015-1(20)/2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च,2015**

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना मद हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पीलीभीत मे शासनादेश संख्या -951/35-3-2014-1(20)/2014 दिनांक: 20 नवम्बर 2014 के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू. 64.87 लाख की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, प्रथम किश्त के रूप मे रू. 44.32 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतदद्वारा उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 20.55 लाख (रू. बीस लाख पचपन हजार मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
		कार्यदायी संस्था–ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग			
पूरनपुर	1.	सोलर स्ट्रीट लाइट एल. ई. डी. 12 वोल्ट 75 वाट ए.एच. बैटरी व 12 वाट की लाइट अन्य एसेसरीज (कार्य योजना 2014–15 मे अनुमोदित ग्रामों मे कुल संख्या - 64)	13.50	13.50	-
	2.	सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना (कार्य	51.37	30.82	20.55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		योजना 2014–15 मे अनुमोदित ग्रामों मे कुल संख्या – 288) ।			
		कुल योग	64.87	44.32	20.55

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 20 नवम्बर, 2014 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग का उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्यात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्यो के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्र्तगत संलग्नक मे सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्र्तगत सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष मे प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या- 40 - आयोजनागत- 2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय -06-बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-101-सौरताप उर्जा कार्यक्रम- 03 सोलर लाईट / सोलर पम्प / सोलर पावर फेसिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य मे 2575 -अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय—06- बार्डर एरिया डेवलपमेट कार्यक्रम-800-अन्यव्यय – 04– समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्याकंन हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-बृहत निर्माण कार्य से आदेश यू.ओ.-412/35-3-2015 दिनांक: मार्च, 2015 द्वारा पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही है।
यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी-1-2457/दस-2014,दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्र्तगत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19 / 2015 / 411(1) / 35-3-2015-1(20) / 2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, पीलीभीत ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / अतिरिक्त उर्जा स्रोत अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बरेली मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।